पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

दिनांक : 30 MAY 2025

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2025 / 1115

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
विक्रांत इंस्टिट्युट ऑफ इन्टीग्रेटेड एण्ड एडवांस स्टडीज,
ग्राम बोरखेडी, तह. महू, जिला–इन्दौर।

विषयः– महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भः आपका आवेदन पत्र क्र. **VIIAS/Renewal of Affiliation/2025-26/3593** दिनांक 06 / 03 / 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18 / 04 / 2024 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12 / 06 / 2024 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2024–25 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता जारी हैः–

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट सख्या
1	बी.बी.ए.	**180**

निर्देशः–

1. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
2. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय / संस्था का होगा।
3. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
4. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन **aishe.gov.in** के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
5. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर **CCTV** कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसि के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2025 / 1115

दिनांक : 30 MAY 2025

प्रतिलिपिः–

1. उपकुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक,
महाविद्यालय विकास परिषद